



# उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

**“संविधान दिवस” (26 नवम्बर, 2020) के उपलक्ष्य पर**

**“मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य”**

**विषय पर**

**“ऑनलाइन चित्रकला/कविता/निबंध प्रतियोगिता”**

आवश्यक विवरण निम्नलिखित हैं :-

- ❖ ऑनलाइन चित्रकला/कविता/निबंध प्रतियोगिता दिनांक: 09 नवम्बर, 2020 से 20 नवम्बर, 2020 तक आयोजित की जायेगी।
- ❖ चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिता के विषय निम्नलिखित हैं :-
  - राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर।
  - राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श।
  - राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामंजस्य एवं भाई-चारा।
  - स्त्री सम्मान एवं सशक्तिकरण।
  - प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण।
  - बाल शिक्षा के अवसर एवं महत्व।
- ❖ निम्नलिखित श्रेणी पात्र हैं :-
  - श्रेणी I – कक्षा 6-8 या आयु वर्ग – 10-14 वर्ष
  - श्रेणी II – कक्षा 9-12 या आयु वर्ग – 15-18 वर्ष
- ❖ प्रविष्टियों ई-मेल आईडी- [ukslsanainital@gmail.com](mailto:ukslsanainital@gmail.com) या व्हाट्सएप नम्बर- 9411102046 पर दिनांक 20 नवम्बर, 2020 तक भेजी जा सकेंगी। विलम्ब से प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ❖ विद्यार्थी एवं गैर स्कूली बच्चे उपरोक्त सभी श्रेणियों (चित्रकला/कविता/निबंध प्रतियोगिता) में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ❖ कविता/निबंध की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी होगी। निबंध के लिए शब्द सीमा अधिकतम 500 शब्द होगी।
- ❖ उपरोक्त सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम चुनी गई प्रविष्टियों का परिणाम दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को **संविधान दिवस** के अवसर पर घोषित किया जायेगा।
- ❖ सभी श्रेणियों की सर्वश्रेष्ठ/उत्तम 3-3 प्रविष्टियों को प्रमाण पत्र या प्रशस्ति प्रमाण पत्र या अन्य उपयुक्त पुरस्कार दिया जायेगा।
- ❖ कविता/चित्रकला/निबंध प्रविष्टि **संलग्नक-“क”** के अनुरूप संलग्न प्रोफार्मा में प्रेषित की जा सकेगी।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-9412059006

टेलीफैक्स:- 05942-236552, ईमेल:- [slsa-uk@nic.in](mailto:slsa-uk@nic.in), [ukslsanainital@gmail.com](mailto:ukslsanainital@gmail.com) टॉल फ्री:- 15100 एवं 1800 180 4000

वेबसाइट:- [www.slsa.uk.gov.in](http://www.slsa.uk.gov.in)

**Annexure-"A"**

चित्रकला या कविता का विषय:	
<p>Draw <b>SAMPLE</b> or Write here</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. नाम:</li><li>2. जन्मतिथि:</li><li>3. माताका नाम:</li><li>4. पिताका नाम:</li><li>5. गृह शहर/गांव:</li><li>6. जनपदका नाम:</li><li>7. विद्यालय का नाम:</li><li>8. कक्षा:</li><li>9. सम्पर्क नं0.</li><li>10. ई0मेल0:</li></ol> <p>[नोट-प्रतिभागी उपरोक्त सूचना को अपनी लिखावट से भर सकते हैं तथा इस पृष्ठ को डाउनलोड करने की आवश्यकतानहीं है।]</p>





## उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



अपने मौलिक कर्तव्य निभाएँ देश को महान बनाएँ

### मूल कर्तव्य

[अनुच्छेद 51—क भारत का संविधान]

- ❖ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- ❖ स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
- ❖ भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे।
- ❖ देश की रक्षा करे और आवाहन किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- ❖ भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।
- ❖ हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें
- ❖ प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें।
- ❖ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- ❖ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।
- ❖ व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊचाइयों को छू लें।
- ❖ जो माता-पिता या संरक्षक हैं, वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें—

टेलीफैक्स— 05942-238552, ईमेल:— [slsa-uk@nic.in](mailto:slsa-uk@nic.in), [ukslsanainital@gmail.com](mailto:ukslsanainital@gmail.com) टॉल फ्री— 15100 एवं 1800 180 4000

वेबसाइट— [www.slsa.uk.gov.in](http://www.slsa.uk.gov.in)